न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–रेशमा खान, जिला न्यायाधीश संवर्ग

नियमित आपराधिक अपील संख्याः– 108/2022 (Cis 40/2017)

सीएनआर नंबर–RJSM070005092017

श्यामसिंह पुत्र गुमानसिंह निवासी मच्छीपुरा पी.एस.सदर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज. अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी।

2. हवलदार सिंह पुत्र गोविन्दसिंह निवासी मच्छीपुरा थाना सदर गंगापुर सिटी।

प्रत्यर्थीगण

श्री सुनील कुमार गोयल, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गंगापुर सिटी द्वारा आ.प्र.सं.112/2016 सरकार बनाम श्यामसिंह में दिनांक 04.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील

**उपस्थिति,**

1. श्री शिवचरण शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री घनश्याम सिंह अपर लोक अभियोजक, सरकार की ओर से।
3. श्री आर.पी. शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.2 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांक 13.06.2026**

1. अपीलार्थी श्यामसिंह की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय,गंगापुर सिटी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.05.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 341, 323 भा.दं.सं. के अपराधों के तहत दोषी ठहराते हुये उसे धारा 4 व 5 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है।

2. अपील से संबंधित संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी हवलदार द्वारा परिवाद प्र.पी.1 इस आशय का पेश किया कि परिवादी व अभियुक्त पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं, उनके मकान पास–पास हैं। दिनांक 13.11.2005 को करीब 5 बजे परिवादी अपने घर पर जा रहा था तो मुल्जिमान ने अपनी भैंस, परिवादी के मकान के सामने बांध रखी थी, रास्ता अवरूद्ध होने का उलाहना देने के लिए मुल्जिमान के घर गया, वहां गुमानसिह खडा था जिससे कहा कि रास्ते में भैंसों को बांध दिया, घर में जाने का रास्ता भी नहीं है, इस पर अभियुक्त गुमानसिंह नाराज हो गया व गाली देना शुरू कर दिया एवं भंवरसिंह, श्यामसिंह, ओमप्रकाश को बुला लिया। भंवरसिह कुल्हाडी लेकर, श्यामसिंह व ओमप्रकाश लाठी लेकर परिवादी के पीछे भागे, श्यामसिंह ने एक लाठी परिवादी के बांये हाथ पर मारी, परिवादी बचने के लिए अपने घर में घुस गया लेकिन सभी मुल्जिमान परिवादी के घर के अंदर घुस

गये, मारपीट की, घर के सामान तोड दिये,परिवादी की जेब में रखे सात हजार रूपये निकाल लिये। आदि उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना गंगापुर सिटी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 848/2005 अंतर्गत धारा 341, 323, 452, 379, 427 भा.दं.सं. दर्ज की गई तथा बाद अनुसंधान अपीलार्थी के विरूद्व आरोप पत्र धारा 341,323 भा.दं.सं. विचारण न्यायालय में पेश किया गया।

3. विचारण न्यायालय नेअपीलार्थी/अभियुक्त को आरोप विरचित कर सुनाये। अभियोजन की ओर से प्रकरण में 6 गवाहान पेश किये गये तथा दस्तावेज प्रदर्शित कराये। बयान मुलजिम लेकर विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्व अपीलार्थी अभियुक्त के द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. अपील मेमो में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क पेश किये कि अभियोजन साक्ष्य में भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन साक्षी अपीलार्थी से रंजिश रखे हुए हैं उनकी साक्ष्य पर विश्वास कर कानूनी भूल की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी है। घटना के दिन मुल्जिम पक्ष द्वारा रास्ता रोकने का कथन असत्य है क्योंकि क्रोस मुकदमा एफआईआर नंबर 822/05 के अनुसार मुल्जिम पक्ष के काफी चोटें थी व फ्रेक्चर होने के कारण गुमानसिंह को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जो व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है तो उनके द्वारा रास्ता रोकने का कथन स्वतः ही झूंठा है। चिकित्सकीय गवाह ने चोटें गिरने पडने से आने व स्वकारित होने संबंधी कथन किये हैं। विचारण न्यायालय ने धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ भी नहीं दिया है। अंत में अपील स्वीकार कर दोषमुक्त किये जाने विकल्प में धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली व आक्षेपित निर्णय तथा संबंधित विधि व्यवस्था का अवलोकन किया। इस अपील पत्रावली के निस्तारण हेतु इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित किये जाने में क्या विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटी कारित की गयी है?

6. बहस सुन पत्रावली का अध्ययन एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। जिसके उपरांत न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत है कि हस्तगत प्रकरण प्र.पी.1 के जरिये संस्थित किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 13.11.2005 को 5 बजे जब वह अपने घर जा रहा था तो रास्ते में भैंस बांधने की बात को लेकर गुमानसिंह से कहने पर मां बहिन की गालियां दी व भंवरसिंह, श्यामसिंह, ओमप्रकाश को बुलाया, इस पर भंवरसिंह, कुल्हाडी लेकर, श्यामसिंह व ओमप्रकाश लाठी लेकर परिवादी के पीछे भागे व मारपीट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर नंबर 848/2005 दज कर बाद अनुसंधान अपीलार्थी के विरूद्व धारा 341, 323 भा.दं.सं. में आरोपपत्र पेश किया गया। परिवादी हवलदार ने न्यायालय में पी.ड.1 के रूप में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्र.पी.1 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है। परिवादी के कथनों की ताईद गवाह पी.ड.2 राकेश, पी.ड.4 बबलू व पी.ड.5 लाला उर्फ शिशुपालसिंह ने की है। पी.ड.3 डा.सत्यनारायण शर्मा मजरूब हवलदार के शरीर पर आई चोटों का मुआयना करने बाबत चिकित्सीय गवाह है। गवाह पी.ड.6 दीवानसिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो अभियुक्त के विरूद्व धारा 341, 323 भा.दं.सं. का अपराध

प्रमाणित पाये जाने का कथन करता है। न्यायालय के समक्ष यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर प्रकट मौखिक साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में तारतम्यता स्थापित करते हुए अभिलेख पर प्रकट प्रलेखीय साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों के परिप्रेक्ष्य में किया जाकर, जो तथ्य अभियुक्त की दोषसिद्धी के संदर्भ में प्रकट किये गये हैं, उसमें अपील मेमो में दर्शित तथ्य व बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों के द्वारा विपरीत अथवा अतिरिक्त मत रखने का कोई युक्तिसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार न्यायालय का यह मत है कि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आयी समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की समग्र एवं अध्योपरांत अवलोकन के उपरांत साक्ष्य की संपूर्ण विवेचना करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है।

7. सजा के बिंदू पर न्यायालय के समक्ष यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धी का कोई पूर्व प्रमाण नहीं होने व काफी समय से अन्वीक्षा भुगतने के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में ही धारा 4 व 5 परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोडा गया है। जिसमें धारा 12 के प्रावधानों का लाभ स्वतः ही समाहित है परंतु फिर भी इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा किये गये तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

## <u>आदेश</u>

8. अतः अपीलार्थी–अभियुक्त श्यामसिंह द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी द्वारा फौजदारी प्रकरण 112/2016 सरकार बनाम श्यामसिंह में दिनांक 04.05.2017 को अपीलार्थी को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं0सं. में दोषसिद्धि पर दंड के स्थान पर दिए गए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 के तहत दिए गए आदेश को पुष्ट करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी के विरूद्ध पारित उक्त दोषसिद्धि से अपीलार्थी अभियुक्त के भविष्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा एवं किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित नहीं होगा। निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ भेजी जावे।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी

9. निर्णय आज दिनांक 13.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी